फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू

नारायणी बनाम कैलाशी

या /वर्ष : 75 /2023

नांक आज्ञा ा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. (2) व (12) की ओर से संक्षिप्त प्रकार में जवाब हाजिर। शेष अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये डाक से भेजे एक माह से अधिक का समय हो चुका है अतः तामील सम्यक मानी जाती है। सम्यक तामील के उपरान्त अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी सं. (1) लगायत 11 एवं 13, 14 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस उभयपक्षों की सुनी गयी। बहस सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी विवादित भूमि के सहखातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद की बहुलता को रोकने व वाद की विषय वस्तु को बनाए रखने के लिए वाद के चरण सं. (2) में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को तादेनफैसला मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर दर्ज नम्बर [illegible] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	